राजभाषा हिंदी : नियम, अधिनियम एवं कार्यान्वयन संबंधी दिशा निर्देश

पुष्पेन्द्र कुमार अग्रवाल
रूडकी

हिंदी भाषा विश्व में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से एक है। हिंदी हमारे देश की संस्कृति एवं संस्कारों का प्रतिबिम्ब है। हिंदी को हमारे देश में राजभाषा का स्थान प्रदत्त किया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है– राज–काज की भाषा। भारत के संविधान में 'राजभाषा' और 'राजभाषाओं' शब्द का ही प्रयोग किया गया है। सामान्य जनमानस की धारणा है कि, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, परन्तु वास्तव में भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का स्थान प्राप्त नहीं है। भारतीय संविधान की धारा 343 (1) के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है।

राष्ट्रभाषा, राजभाषा और मातृभाषा में अंतर

जैसा कि नाम से ही विदित है, वह भाषा जो सम्पूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है, उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। वास्तव में राष्ट्रभाषा ही किसी देश की राजभाषा होती है। भारतीय संविधान की अष्टम अनुसूचि में राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए हिंदी के अतिरिक्त 21 अन्य भाषाएं उल्लिखित है। इन भाषाओं में असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगू, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी शामिल हैं। राज्यों की विधान सभाएं बहुमत के आधार पर किसी एक भाषा को अथवा चाहें तो एक से अधिक भाषाओं को अपने राज्य की राज्यभाषा घोषित कर सकती हैं।

मातृभाषा वह भाषा है, जो हम जन्म के साथ सीखते हैं। हमारे जन्मस्थल पर जनमानस द्वारा बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा कही जाती है। उदाहरणार्थ यदि कोई व्यक्ति लखनऊ में रहता है, और अवधी बोलता है तो अवधी उसकी मातृभाषा होगी।

भारतीय संविधान में राजभाषा के विशेष प्रावधान

भारतीय संविधान सभा ने 14 सितंबर, 1949 को हिंदी को सर्वसम्मति से राजभाषा का दर्जा दिया था। हमारे संविधान में भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा से संबंधित विशेष प्रावधान हैं।

अनुच्छेद 343

संविधान की धारा 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप (अर्थात 1,2,3 आदि) है। किन्तु इसके साथ संविधान की धारा 343(2) में यह भी व्यवस्था की गई कि संघ के कार्यकारी, न्यायिक और वैधानिक प्रयोजनों के लिए 1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहे। तथापि यह प्रावधान किया गया था कि उक्त अवधि के दौरान भी राष्ट्रपति कतिपय विशिष्ट प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग का प्राधिकार दे सकते हैं।

संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है। परन्तु राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष विशेष परिस्थिति में सदन के किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं (संविधान का अनुच्छेद 120)। किन प्रयोजनों के लिए केवल हिंदी का प्रयोग किया जाना है, किन के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग आवश्यक

है, और किन कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाना है, यह राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976 और उनके अन्तर्गत समय–समय पर राजभाषा विभाग, गृह मन्त्रालय की ओर से जारी किए गए निर्देशों द्वारा निर्धारित किया गया है।

अनुच्छेद 344

इस अनुच्छेद के अनुसार संविधान के प्रारंभ से 5 और 10 वर्षों के खत्म होने पर देश के राष्ट्रपति हिंदी के विकास और प्रयोग का जायजा लेने के लिए आयोग का गठन करेंगे। आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्यों की संसदीय समिति गठित की जाएगी, जो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगी।

अनुच्छेद–345

इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यों के विधान मंडल अपने राज्य में सरकारी प्रयोजन के लिए स्थानीय भाषा, भाषाओं या हिंदी को अपनाएंगे। जब तक कानून द्वारा कोई प्रबंध नहीं किया जाता, राज्य में अंग्रेजी पहले की तरह सरकारी कार्यों में प्रयोग होती रहेगी।

अनुच्छेद–346

इस अनुच्छेद के अनुसार संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए जो भाषा प्रयोग में होगी, वही भाषा राज्य और संघ के बीच संपर्क भाषा रहेगी। यदि दो या अधिक राज्य आपसी सहमति से पत्राचार में हिंदी का प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं।

अनुच्छेद–347

इस अनुच्छेद के अनुसार अगर किसी राज्य के जनमानस द्वारा बोली जाने वाली भाषा को शासकीय मान्यता प्रदान करने की मांग की जाती है, तो राष्ट्रपति उस भाषा को राज्य के समस्त या कुछ कार्यों के लिए मान्यता देने के आदेश दे सकते हैं।

अनुच्छेद–348

इस अनुच्छेद में कहा गया है कि जब तक कोई व्यवस्था न की जाए तब तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी होगी। केंद्र और राज्यों के सभी विधेयक, अधिनियम, आदेश आदि का पाठ अंग्रेजी में होगा।

अनुच्छेद–349

संविधान में प्रारंभ से 15 साल तक के दौरान हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में करने के लिए कोई संशोधन लोकसभा, राज्यसभा में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही लाया जाएगा।

अनुच्छेद–350

अनुच्छेद–350 कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी परेशानियों के लिए संघ या राज्य के किसी भी अधिकारी को उस समय इस्तेमाल होने वाली राजभाषा में आवेदन दे सकता है।

अनुच्छेद–351

संविधान के इस अनुच्छेद में हिंदी के विकास के लिए कुछ निर्देशों का जिक्र है, इसमें कहा गया है कि हिंदी भाषा के प्रचार, विकास की जिम्मेदारी संघ सरकार की होगी।

राजभाषा अधिनियम

वर्ष 1963 में राजभाषा अधिनियम अधिनियमित किया गया। अधिनियम में यह व्यवस्था भी थी कि केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों से पत्राचार में अंग्रेजी के प्रयोग को उसी स्थिति में समाप्त किया जाएगा जबकि सभी अहिंदी भाषी राज्यों के विधान मण्डल इसकी समाप्ति के लिए संकल्प पारित कर दें और उन संकल्पों पर विचार करके संसद के दोनों सदन उसी प्रकार के संकल्प

पारित करें। अधिनियम में यह भी व्यवस्था थी कि अन्तराल की अवधि में कुछ विशिष्ट प्रयोजनों के लिए केवल हिंदी का प्रयोग किया जाए और कुछ अन्य प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी और हिंदी दोनों का प्रयोग किया जाए।

राजभाषा नियम 1976

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा राजभाषा नियम बनाये गए, जिन्हें राजभाषा नियम, 1976 के रूप में जाना जाता है। इन नियमों में वर्ष 1987, 2006 एवं 2011 में कुछ संशोधन किए गए।

राजभाषा नियम 1 व 2 में इसके नाम व सम्बद्ध परिभाषाओं को वर्णित किया गया है।

राजभाषा नियम 3 एवं 4 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से 'क' क्षेत्र में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में पत्रादि असाधारण दशाओं को छोड़कर हिंदी में होंगे और यदि उनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा। केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से 'ख' क्षेत्र के किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं। केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से 'ग' क्षेत्र में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय को पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाऐंगे। राजभाषा नियम 5 के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से हिंदी में ही दिए जाएंगे।

राजभाषा नियम 6 के अनुसार अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा और ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसे दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में तैयार किए जाते हैं, निष्पादित किए जाते हैं और जारी किए जाते हैं।

राजभाषा नियम 7 के अनुसार कोई कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है। जब उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी में किया गया हो या उस पर हिंदी में हस्ताक्षर किए गए हों, तब उसका उत्तर हिंदी में दिया जाएगा।

राजभाषा नियम 8 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पण या कार्यवृत्त हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करे।

राजभाषा नियम 9 के अनुसार यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है, या स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा की समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है।

राजभाषा नियम 10 के अनुसार यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है, या केन्द्रीय सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अन्तर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

राजभाषा नियम 11 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में यथास्थिति, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा।

राजभाषा नियम 12 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों और उपनियम (2) के अधीन जारी किए गए निर्देशों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है, और वह इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच के लिए उपाय करे।

राजभाषा संकल्प

संविधान में भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा को लेकर किये गए प्रावधानों के अनुपालन में 18 जनवरी 1968 को संसद के दोनों सदनों में इस आशय का एक संकल्प लिया गया था कि "हिंदी" के प्रसार एवं गति को बढाने हेतु संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए इसके उत्तरोत्तर प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा और किए जाने वाले उपायों एवं की जाने वाली प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखी जाएगी और समस्त राज्य सरकारों को भेजी जाएगी। उक्त संकल्प के अनुबंधों के अनुसरण में राजभाषा विभाग द्वारा प्रति वर्ष केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा कार्यान्वयन के लिए राजभाषा हिंदी के प्रसार और प्रगामी प्रयोग हेतु वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है । इसी क्रम में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2023–24 के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम में अनुपालन हेतु दिए गए प्रमुख दिशा निर्देश निम्नवत हैं।

1. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक व अन्य रिपोर्टें, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के किसी सदन या दोनों सदनों के समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें व सरकारी कागजात, संविदा, करार, अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञापत्र, निविदा सूचनाएं और निविदा प्रपत्र द्विभाषिक रूप में, अंग्रेजी और हिंदी, दोनों में जारी किए जाएं। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 6 के अंतर्गत ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का दायित्व यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार, निष्पादित अथवा जारी किए जाएं।

2. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी में प्राप्त पत्रादि का उत्तर हिंदी में ही दिया जाना है।

3. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अनुसार केंद्र सरकार के जिन कार्यालयों के 80 प्रतिशत कार्मिकों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं।

4. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अनुसार केंद्र सरकार, ऐसे अधिसूचित कार्यालयों के हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को टिप्पण, प्रारूपण और अन्य उन शासकीय कार्यों को केवल हिंदी में करने के लिए आदेश जारी कर सकती है, जोकि आदेश में विनिर्दिष्ट हों।

5. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य को हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में यथा स्थिति, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा। केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले समस्त रजिस्टरों के प्रारूप और शीर्षक हिंदी और अंग्रेजी में होंगे। केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण

लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिंदी और अंग्रेजी में लिखी जाएंगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होगी। तदनुसार, केंद्र सरकार के कार्यालयों से अपेक्षा है कि वे सभी मैनुअल, संहिताएं एवं प्रक्रिया संबंधी असांविधिक साहित्य से संबंधित अन्य प्रक्रियात्मक साहित्य अनुवाद के लिए केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में भेजें।

6. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार केंद्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियमावली के प्रावधानों तथा इनके अधीन जारी किए गए निर्देशों का समुचित रूप से अनुपालन हो तथा इस प्रयोजन हेतु उपयुक्त एवं प्रभावकारी जांच बिंदु बनाए जाएं।

7. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने केंद्रीय हिंदी समिति की 31वीं बैठक के कार्यवृत्त में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए सुझावों पर पुनः बल दिया है। ये सुझाव हैं:– सरकारी हिंदी और सामाजिक हिंदी के अंतर को कम करना, देश की दूसरी भाषाओं से हिंदी को और समृद्ध करने के लिए उपाय करना, दूसरी भाषाओं के लोकप्रिय शब्दों को हिंदी में ग्रहण करना, दूसरी भारतीय भाषाओं से लोकप्रिय शब्दों को खोजकर हिंदी भाषा में जोड़ना, हिंदी में अनुवाद सरल भाषा में सुनिश्चित करना, जिससे सरकारी भाषा हिंदी के प्रचार–प्रसार में बाधक नहीं, सहायक हो।

8. राजभाषा विभाग ने भारत सरकार के सभी सचिवों/विभिन्न सरकारी संगठनों के प्रमुखों से आग्रह किया है कि जब वे प्रत्येक माह वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करें तो वे उनमें हिंदी में सरकारी काम–काज में हुई प्रगति की भी समीक्षा करें और अपने संगठन में राजभाषा अधिनियम तथा नियमों के विभिन्न उपबंधों के कार्यान्वयन के बारे में चर्चा करें। साथ ही, संयुक्त सचिव (प्रशासन)/संगठन के प्रशासनिक प्रमुख को हिंदी कार्यान्वयन का तथा वर्ष की प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की अध्यक्षता करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाए।

9. कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में राजभाषा का संवर्ग गठित होना चाहिए, जो कि कुल पदों के अनुरूप हो। मंत्रालयों/विभागों के अधीनस्थ कार्यालयों के हिंदी पदाधिकारियों को केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के समान वेतनमान व पदनाम दिए जाएं।

10. अधीनस्थ सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्न–पत्र को छोड़कर शेष विषयों के प्रश्न–पत्रों के उत्तर हिंदी में भी देने की छूट दी जाए और ऐसे प्रश्न–पत्र द्विभाषी रूप से हिंदी तथा अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराए जाएं। साक्षात्कार या मौखिक परीक्षा में उम्मीदवारों को हिंदी में उत्तर देने की छूट दी जाए।

11. सभी प्रकार की वैज्ञानिक/तकनीकी संगोष्ठियों तथा परिचर्चाओं आदि में वैज्ञानिकों आदि को राजभाषा हिंदी में शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाए। उक्त शोध पत्र संबंधित मंत्रालय/विभाग और कार्यालय आदि के मुख्य विषय से संबंधित हो।

12. केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि हिंदी संगोष्ठियों का आयोजन करें।

13. 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में सभी प्रकार का प्रशिक्षण, चाहे वह अल्पावधि का हो अथवा दीर्घावधि का, सामान्यतः हिंदी माध्यम से हो। 'ग' क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण सामग्री हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कराई जाए और प्रशिक्षणार्थी की मांग के अनुसार हिंदी या अंग्रेजी में उपलब्ध कराई जाए।

14. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा कोई भी गैर–सरकारी संस्था केंद्र सरकार के कर्मचारियों को राजभाषा का प्रशिक्षण देने के लिए अधिकृत नहीं की गई है। राजभाषा विभाग के अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्र पहले से ही देशभर में काम कर रहे हैं जो केंद्र सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों

को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण निःशुल्क देते हैं एवं राजभाषा पर विचार–विमर्श के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं। राजभाषा विभाग के निर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों द्वारा संबंधित कार्यालयों में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर 'लीला' राजभाषा के माध्यम से अंग्रेजी के अतिरिक्त 14 भारतीय भाषाओं के माध्यम से हिंदी भाषा का प्रशिक्षण ऑनलाइन दिए जाने की सुविधा उपलब्ध है। अतः गैर–सरकारी संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जा रहे राजभाषा के प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए सरकारी कोष से अनावश्यक धन खर्च करना उचित नहीं है।

15. विभिन्न कार्यालयों में हिंदी में कार्य करने में आ रही कठिनाईयों को दूर करने के लिए हिंदी कार्यशालाओं के आयोजन के संबंध में नए दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। नए दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यशाला की न्यूनतम अवधि एक कार्य दिवस की होगी। कार्यशाला में न्यूनतम दो तिहाई समय कार्यालय से संबंधित विषयों पर हिंदी में कार्य करने का अभ्यास करवाने में लगाया जाए।

16. केंद्र सरकार के कार्यालयों की मांग पर केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण दिया जाता है।

17. केंद्र सरकार के कार्यालयों में जब तक हिंदी टंककों व हिंदी आशुलिपिकों से संबंधित निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लिए जाते, तब तक उनमें केवल हिंदी टंकक व हिंदी आशुलिपिक ही भर्ती किए जाएं।

18. अनुवाद कार्य तथा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से जुड़े सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो में अनिवार्य अनुवाद प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाए। ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को भी अनुवाद के प्रशिक्षण के लिए नामित किया जा सकता है, जिन्हें स्नातक स्तर पर हिंदी–अंग्रेजी दोनों भाषाओं का ज्ञान हो तथा जिनकी सेवाओं का उपयोग कार्यालय द्वारा अनुवाद कार्य के लिए किया जा सकता हो।

19. अनुवादकों को, मानक शब्दकोश (अंग्रेजी–हिंदी व हिंदी–अंग्रेजी) तथा अन्य तकनीकी शब्दावलियों के रूप में सहायक सामग्री उपलब्ध कराई जाए।

20. भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रशिक्षण के दौरान हिंदी भाषा का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से दिया जाता है ताकि सरकारी काम–काज में वे इसका प्रयोग कर सकें। तथापि, अधिकांश अधिकारी सेवा में आने के पश्चात सरकारी काम–काज में हिंदी का प्रयोग नहीं करते। इससे उनके अधीन कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों में सही संदेश नहीं जाता। परिणामस्वरूप, सरकारी काम–काज में हिंदी का प्रयोग अपेक्षित मात्रा में नहीं हो पाता। केंद्र सरकार के कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारियों का यह संवैधानिक दायित्व है कि वे सरकारी काम–काज नें हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें।

21. केंद्र सरकार के सभी कार्यालय, हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं का अपने संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में भी व्यापक प्रचार–प्रसार करें ताकि अधिक से अधिक अधिकारी/कर्मचारी इन योजनाओं का लाभ उठा सकें और सरकारी काम–काज अधिक से अधिक कार्य हिंदी में किया जाए।

22. केंद्र सरकार के सभी कार्यालय अपने दायित्वों से जुड़े विषयों से संबंधित शब्द भंडार को समृद्ध करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

23. केंद्र सरकार के कार्यालय अपने कार्यालय में हिंदी में कार्य का माहौल तैयार करने के लिए हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन कर रहे हैं। इन पत्रिकाओं में कार्यालय की सामान्य गतिविधियों तथा उस कार्यालय के कामकाज से संबंधित मौलिक आलेख प्रकाशित किए जाएं। साथ ही राजभाषा नीति के प्रमुख प्रावधानों का भी उल्लेख अवश्य हो। केंद्र सरकार के कार्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन पत्रिकाओं के ई–वर्जन तैयार करें और इन्हें राजभाषा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्लेटफॉर्म "ई–पत्रिका पुस्तकालय" पर अपलोड करें ताकि गृह–पत्रिकाएं पाठकों को सहज तरीके से प्राप्त हो सकें।

24. यह देखा गया है कि अनेक विभागों द्वारा वेबसाइट पर या तो सूचना हिंदी में नहीं दी जाती या कुछ मामलों में यह पूर्णतया हिंदी में उपलब्ध नहीं है। अतः वेबसाइट हिंदी में विकसित और नियमित रूप से अद्यतित करवाएं।

25. राजभाषा विभाग द्वारा केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से हर वर्ष कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने के लिए 5 दिवसीय बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जाता है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अधिक से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित करें। प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा होने के बाद प्रशिक्षु कंप्यूटर पर हिंदी में काम कर सकेंगे। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की वेबसाइट www.chti.rajbhasha.gov.in पर उपलब्ध है।

26. राजभाषा विभाग द्वारा आधुनिक ज्ञान/विज्ञान की विभिन्न विधाओं में मौलिक रूप से हिंदी में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने एवं राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "राजभाषा गौरव पुरस्कार" दिए जाते हैं। राजभाषा के प्रयोग में बेहतर प्रगति दर्ज करने वाले मंत्रालय/विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बोर्ड/स्वायत्त निकाय/ट्रस्ट आदि, राष्ट्रीयकृत बैंक तथा हिंदी गृह पत्रिकाओं के लिए "राजभाषा कीर्ति पुरस्कार" राजभाषा विभाग द्वारा दिए जाते हैं। इन दोनों पुरस्कार योजनाओं की जानकारी राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.chti.rajbhasha.gov.in पर उपलब्ध है।

27. राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर "ई–सरल हिंदी वाक्यकोश" शीर्षक के अंतर्गत सामान्यतः अंग्रेजी में प्रयोग होने वाले वाक्यों के हिंदी अनुवाद दिए गए हैं जिनके प्रयोग से अधिकारी फाइलों पर सामान्य टिप्पणियां आसानी से हिंदी में लिख सकते हैं।

28. अंतर्राष्ट्रीय संधियों और करारों को अनिवार्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कराया जाए। विदेशों में निष्पादित संधियों और करारों के प्रामाणिक अनुवाद तैयार कराकर रिकॉर्ड के लिए फाइल में रखे जाएं।

29. हिंदीतर राज्यों में बोर्ड, साइन बोर्ड, नामपट्ट तथा दिशा संकेतकों के लिए क्षेत्रीय भाषा, हिंदी तथा अंग्रेजी, इसी क्रम में प्रयोग की जानी चाहिए।

30. प्रशिक्षण और कार्यशालाओं सहित राजभाषा हिंदी संबंधी कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय में बैठने के लिए अच्छा व समुचित स्थान एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं ताकि वे अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक तरह से कर सकें।

31. हमें अपने कार्य–व्यवहार में आम जीवन में प्रचलित शब्दों के प्रयोग पर बल देना चाहिए ताकि सामान्य नागरिक सरकारी नीतियों/कार्यक्रमों के बारे में सरल हिंदी में जानकारी प्राप्त कर सकें।

राजभाषा हिंदी के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुपालन में राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान की भूमिका

राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान द्वारा रूड़की स्थित अपने मुख्यालय तथा देश के विभिन्न राज्यों में स्थित क्षेत्रीय केन्द्रों में राजभाषा नीति के समुचित अनुपालन, राजभाषा नियम, अधिनियम तथा भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन हेतु समुचित भूमिका निभाई जा रही है। संस्थान के हिंदी प्रकोष्ठ को राजभाषा से सम्बंधित विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व प्रदान किया गया है। राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के दृष्टिकोण से राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित वार्षिक कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। राजभाषा हिंदी के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार संस्थान द्वारा अधिकांश पत्र व्यवहार राजभाषा हिंदी या द्विभाषी रूप में किया जा रहा है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों, हिंदी मास/हिंदी पखवाडा, हिंदी पुरस्कार योजना, हिंदी पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना, आदि द्वारा संस्थान के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में राजभाषा हिंदी के प्रति जागरूकता पैदा की जा रही है। संस्थान द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रचार एवं प्रसार के लिए हिंदी संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नियमित रूप से आयोजन किया जाता है। संस्थान द्वारा हिंदी पत्रिका ''प्रवाहिनी'' तथा हिंदी तकनीकी पत्रिका ''जल चेतना'' का क्रमशः वार्षिक एवं अर्धवार्षिक समयांतराल पर प्रकाशन किया जाता है जिसमें संस्थान, के साथ–साथ देश के विभिन्न भागों में जल क्षेत्र से सम्बद्ध प्रबुद्ध लेखकों के लेख प्रकाशित किये जाते हैं। इस प्रकार संस्थान, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अपना पूर्ण योगदान प्रदान कर रहा है।

उपसंहार

भारतवर्ष की स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश को एक सूत्र में पिरोने के उद्देश्य से हिंदी को राजभाषा का स्थान प्रदान किया गया। राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार को बढाने, राजभाषा नीति के समुचित अनुपालन, राजभाषा नियम, अधिनियम तथा भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा समय–समय पर इनमें आवश्यकतानुसार संशोधन किये जाते रहे हैं। राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए प्रत्येक वर्ष 14 सितम्बर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार के अथक प्रयासों के बावजूद इसके लागू किये जाने के लगभग 75 वर्ष बाद भी हिंदी को राजभाषा का स्थान प्रदान किये जाने के निर्धारित लक्ष्यों को हम प्राप्त नहीं कर सके हैं। आज भी देश के प्रबुद्ध व्यक्ति अपने बच्चों को हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदत्त करना उचित समझते हैं। अनेक राज्य हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी या मातृभाषा में बात करना एवं शिक्षा प्रदान करना उचित समझते हैं जिसके कारण देश में हिंदी को राजभाषा के रूप में उचित स्थान प्राप्त नहीं हो रहा है । अतः देश के जनमानस को हिंदी के प्रति अपनी भ्रांतियों को दूर कर इसके प्रसार में अपना योगदान प्रदान करना होगा तभी हम राजभाषा के लक्ष्यों को पूर्ण करने में सफल होंगे।

उस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा जाना चाहिए जो देश के सबसे बड़े हिस्से में बोली जाती हो, अर्थात् हिंदी।

–रवीन्द्रनाथ ठाकुर